

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ कार्यालय आदेश ॥

संचिका सं०-NULM-PMC/001/NULM-(A&OE)/2015-16 - 141 पटना, दिनांक- 23/12/15

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना के अधीन NULM नगर निकायों में कार्यरत City Mission Management Unit (CMMU) कर्मियों को विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं अन्य संबंधित उपकरण/सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Administration and other expenses (A&OE) (NULM योजना के लिए आवंटित राशि का अधिकतम 2%) मद में से NULM योजना आच्छादित 42 नगर निकाय हेतु प्रति NULM नगर निकाय राशि 72,000.00 रु० (बहत्तर हजार रु० मात्र) की दर से कुल राशि ₹30,24,000/- विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है। स्वीकृत राशि की विवरणी निम्न है:-

(राशि रु० में)

क्रम सं०	NULM नगर निकाय का नाम	स्वीकृत राशि
01	02	03
01	आरा	72000.00
02	अररिया	72000.00
03	अरवल	72000.00
04	औरंगाबाद	72000.00
05	बगहा	72000.00
06	बांका	72000.00
07	बेगुसराय	72000.00
08	बेतिया	72000.00
09	भभुआ	72000.00
10	भागलपुर	72000.00
11	बिहारशरीफ	72000.00
12	बक्सर	72000.00
13	छपरा	72000.00
14	दानापुर	72000.00
15	दरभंगा	72000.00
16	डेहरी	72000.00
17	गया	72000.00
18	गोपालगंज	72000.00
19	हाजीपुर	72000.00
20	जमालपुर	72000.00
21	जमुई	72000.00
22	जहानाबाद	72000.00
23	कटिहार	72000.00
24	खगड़िया	72000.00
25	किशनगंज	72000.00
26	लखीसराय	72000.00

27	मधेपुरा	72000.00
28	मधुबनी	72000.00
29	मोतिहारी	72000.00
30	मुंगेर	72000.00
31	मुजफ्फरपुर	72000.00
32	नवादा	72000.00
33	पटना	72000.00
34	पूर्णिया	72000.00
35	सहरसा	72000.00
36	समस्तीपुर	72000.00
37	सासाराम	72000.00
38	शेखपुरा	72000.00
39	शिवहर	72000.00
40	सीतामढ़ी	72000.00
41	सिवान	72000.00
42	सुपौल	72000.00
कुल-		30,24,000.00

(तीस लाख चौबीस हजार रू० मात्र)

2. उक्त विमुक्त की गई राशि से निम्न उपकरण/सामग्री का क्रय किया जायेगा :-

Sl.No.	Items	Quantity	Approx cost per unit	Specification
1	Computer Desktop	01	38,766/-	HP, Intel core i3 Operating System with MS windows
2	Printer	01	7500/-	Laser Jet
3	UPS	01	2000/-	650 VA.
4	Computer Table	01	3000/-	-
5	Chair for Computer Table	01	2000/-	-
6	Work Station Table	02	5000/-	-
7	General Chair	06	1200/-	-
8	Internet Facility	-	1500/-	-

3. स्वीकृत राशि की विमुक्त NULM योजना की संचित राशि में से RTGS के माध्यम से उपर्युक्त विवरणी के अनुसार संबंधित नगर निकायों को की जायेगी।

4. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

5. संबंधित नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, CMMU कर्मियों को वांछित सामानों की आपूर्ति का लेखा स्टॉक पंजी में दर्ज करते हुए उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक- NULM-PMC/001/NULM-(A&OE)/2015-16

141

दिनांक- 23/12/15

प्रतिलिपि:-उप निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, बुडा/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/Project Management Consultant (PMC) M/s Vision EIS Consulting Pvt. Ltd., पटना को सूचनार्थ एवं PMC (NULM) को निदेश दिया जाता है कि संबंधित नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी से सम्पर्क कर वांछित सामान कम्प्यूटर/प्रिंटर आदि CMMU कर्मी को उपलब्ध कराने में सहयोग करें।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।


